राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1149/2013/जयपुर
अपील संख्या 1150/2013/जयपुर

सहायक आयुक्त
वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–जे,जयपुर — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स शालीमार सील एवं तार प्रोडक्टस प्रा.लि.
जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः

श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 13.01.2016

निर्णय

अपीलार्थी सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–जे,जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 51 व 52/अपील्स–I/आरवीएटी/जे/जयपुर/ 2012–2013 में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 07.01.2013 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त किया गया है।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य वर्ष 2009–10 के चारों तिमाही बिक्री विवरण पत्र विलम्ब से पेश किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23/24 के अन्तर्गत वैट कर निर्धारण वर्ष 2009–10 का आदेश दिनांक 17.02.2012 को पारित करते हुए क्रमशः विलम्ब शुल्क रू. 17,876/– व रू. 3,50,900/– तथा ब्याज रू.2960/– व 1,33,218/– आरोपित किया ।

इसके अतिरिक्त (अपील संख्या 1149/2013) व्यवहारी द्वारा रू. 5,24,044/– की राशि के सी फार्म पेश नही करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम कर के निर्धारण आदेश वर्ष 2009–10 में 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर रू. 62,885/– आरोपित किया तथा ब्याज रू. 17,608/–आरोपित किया।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने बिक्री विवरण विलम्ब से प्रस्तत किये जाने के

बिन्दु पर आरोपित शास्ति कर एवं ब्याज को अपास्त कर दिया तथा सी फार्म दिनांक 28.02.2013 तक प्रस्तुत करने के लिए प्रत्यर्थी व्यवहारी को निर्देशित किया एवं दिनांक 28.02.2013 तक प्रस्तुत सी फार्म की जांच करे सही पाये जाने पर उन्हें स्वीकार कर तद्नुसार कार्यवाही करने के निर्देश कर निर्धारण अधिकारी को दिये गये। उक्त प्रकार से अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेशों से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण किये जाने के समय तक तिमाही रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है,जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का कर निर्धारण किये जाने पर यह भी पाया गया है कि उसके द्वारा रियायती दर से माल की खरीद की गई है किन्तु उनके विरूद्ध सी फार्म प्रस्तुत नहीं किये गये है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने रियायती दर स्वीकार नहीं कर अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया है,जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं, जो अस्वीकार किये जाने योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अविधिक बताते हुए उन्हें अपास्त कर अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011–45 दिनांक 15.09.2011 का हवाला देते हुए कथन किया कि उक्त अधिसूचना के अनुसार किसी भी व्यवहारी द्वारा देय कर का भुगतान दिनांक 30.09.2011 तक कर दिया गया हो तथा सभी रिटर्नस को दिनांक 30.09.2011 तक कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हो, तो देय ब्याज एवं शास्ति से छूट प्रदान की गई है। उनका कथन है कि देय कर का भुगतान एवं समस्त विवरणियॉ अधिसूचना में अंकित समयावधि से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी थीं इसलिए प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कोई कर का दायित्व शेष नहीं बचा है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित आरोपित शास्ति एवं ब्याज अविधिक है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने सी फार्म के बिन्दु पर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सी फार्म प्रस्तुत करने हेतु उसे समय प्रदान नहीं किया गया है। उनका कथन है कि अपीलीय स्तर पर भी सी फार्म एकत्र करने हेतु समय प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है,जिसको स्वीकार कर सी फार्म प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के

आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि 2009–10 की चारों तिमाही के बिक्री विवरण पत्र विलम्ब से पेश किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति एवं देय कर विलम्ब से जमा कराने के कारण ब्याज आरोपित किया है, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना क्रमांक एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011–45 दिनांक 15.09.2011 को उद्धरित कर आरोपित शास्ति एवं ब्याज को अनुचित बताया है।

अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त अधिसूचना को अपीलीय आदेश के पेज 2 पर उद्धरित किया है,जिसके पठन से ज्ञात होता है कि किसी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009–10 में देय समस्त कर का भुगतान दिनांक 30.09.2011 तक कर दिये जाने तथा सभी रिटर्नस को दिनांक 30.09.2011 तक कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाने पर देय ब्याज एवं शास्ति से छूट प्रदान की गई है।

बहस के दौरान विभागीय प्रतिनिधि द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 30.09.2011 तक कर का भुगतान अथवा रिटर्नस पेश नही किये गये हैं। जबकि अपीलीय अधिकारी ने रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात पाया है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य वर्ष 2009–10 का देय कर का भुगतान दिनांक 30.09.2011 से पूर्व कर दिया गया है तथा चारों तिमाही बिक्री विवरण पत्र दिनांक 30.09.2011 से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये है, इस आधार पर उन्होंने आरोपित शास्ति एवं ब्याज को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध में विभागीय प्रतिनिधि द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः विलम्ब से बिक्री विवरण प्रस्तुत किये जाने के बिन्दु पर आरोपित शास्ति एवं ब्याज को अपास्त किये जाने के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

जहां तक सी फार्म प्रस्तुत करने का बिन्दु है उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। यदि प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सी फार्म्स दिनांक 28.02.2013 तक कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है तो कर निर्धारण अधिकारी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्रकरणों के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर विभाग की ओर से विलम्ब से प्रस्तुत किये गये बिक्री विवरण पत्रों के बिन्दु पर विभागीय अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा सी फार्म के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य